न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. नाथुलाल पिता मांगू जाट निवासी पिछोरिया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. सवाईराम पिता मोहनलाल गाडरी निवासी भरक
2. शंकरलाल तिपा हीरा लाल लुहार निवासी नया खेड़ा
3. वंशीलाल पिता हीरालाल लुहार निवासी नया खेड़ा
4. पन्नालाल पिता उदयराम जाट निवासी नया खेड़ा
5. शंकरलाल पिता हर जाट निवासी नया खेड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–17.03.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम भरक पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 351 रकबा 1.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 137 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण [illegible] लिखित सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। [illegible] तामील [illegible] पायत 5 बावजूद [illegible] के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये [illegible] ये। विपक्षी संख्या 6 [illegible] सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

1.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 13/2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई गैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भरक पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 351 रकबा 1.51 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 137 पर स्थित हैं। भूमि का बरामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/– (छः सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/– (छः सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (जिला भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested